

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/113820/JHS/JHANSI/645/CFO
दिनांक : 06-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ST.MICHAELS SCHOOL AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL** पता 1330 TO 1335, 1340, 1342, TO 1346, 1356, PUNAWALI ROAD RAKSHA, Jhansi तहसील - Jhansi प्लॉट एरिया 12445 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3327 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	11.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ST.MICHAELS SCHOOL AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 09-04-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **AMBROSE M** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि 09-04-2024 से 09-04-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ST.MICHAELS SCHOOL AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ST.MICHAELS SCHOOL AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : AS PER INSPECTION AND RECOMMENDATION REPORT OF FSSO JHANSI. ALL EXITS/STAIRCASE SHOULD ALWAYS BE KEPT FREE AND REMAIN AVAILABLE AS PER NORMS EVERY TIME. IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF OWNER/OCCUPIER THAT ALL FIRE FIGHTING SYSTEMS MUST BE ALWAYS IN WORKING CONDITION AND REMAIN AVAILABLE AS PER NORMS EVERY TIME WITH TRAINED FIRE AND ELECTRIC SAFETY STAFF SHOULD BE ASSIGNED FOR THESE DUTIES. IF ANY CHANGES IN SCHOOL BUILDING PRIOR PERMISSION ARE REQUIRED FROM FIRE SERVICE. IF ANY TIME ANY FIRE SAFETY NORMS VIOLATED THEN THE ISSUED FIRE SAFETY REPORT LAPSES AUTOMATICALLY.

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-04-2024
स्थान : JHANSI



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJ KISHOR RAI

0AFB625D4ECF7FFF9213461EF08FC8ACF5EC51FB

09-04-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.